शौक से नहीं, विवशता से घूमती है घुमंतू जनजातियाँ

डॉ. दीपक रामा तुपे,
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर (स्वायत्त)
चलभाष: 8805282610
ई-मेल: dipaktupe1980@gmail

सारांश:

वस्तुत: आज समग्र भारत आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है, मगर विमुक्त घुमंतू जनजातियाँ बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। वर्तमान स्थिति में विमुक्त घुमंतू जनजातियों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थितियों की चुनौतियाँ चरमसीमा पर पहुँची है। अपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत ये जनजातियाँ जन्मजात अपराधी हुआ करती थी, वर्ष 1952 तक उनका यही हाल रहा। बाद में वे आजाद यानी विमुक्त हो गए। सरकार द्वारा उनके पारंपरिक कामों पर रोक लगा दी गई। दरअसल 'घुमंतू' वह समाज है जो हमेशा साधन-सुविधाओं से वंचित रहा है, जिनकी प्रवृत्ति लड़ाकू है। यही वजह है कि अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी घोषित किया था। यहाँ तक कि सरकार ने भी 'हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी' घोषित किया। समाज से बहिष्कृत घुमंतू जनजातियां आज भी स्वतंत्रता से वंचित ही नहीं विवंचित है। उनको न सम्मान मिला और न अस्मिता की पहचान। विमुक्त घुमंतू जनजातियों के साहित्य में उनके सम्मान का चिंतन नहीं दिखाई देता जबकि उनके विकृत रूपों का ही चित्रण नजर आता है। इनका आय का साधन नहीं होता इसलिए वे गाँव-गाँव या शहर-शहर में मजबूरीवश जीविकोपार्जन के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं। अपनी आजीविका के लिए ये लोग भेड़-बकरियां पालन करना, व्यापार करना, भिक्षा मांगना, मनोरंजन करना, श्मशान भूमि में लाश का अंतिम संस्कार करना, लाश का दफन करना, सांपों का खेल करना, बंदर नचाना, जड़ी-बूटी बेचना जैसे काम करते हैं।

बीज शब्द: घुमंतू, घुमक्कड़, अपराधी, लड़ाकू, विवशता, कानून, अंधविश्वास, व्यसनाधीनता, धर्मांधता।

प्रस्तावना:

'घुमंतू' का शाब्दिक अर्थ है- घुमक्कड़। जो हमेशा घूमते रहते हैं, जिनका कोई स्थाई निवास नहीं रहता। यह घूमना बिना वजह, अनुभव प्राप्ति, जीविकोपार्जन और ज्ञान प्राप्ति हेतु होता है। जनजाति यह विशेषण इसलिए जुड़ा हुआ है कि वह विशेष जातियां जिनका निवास एक स्थान पर नहीं होता। जीविकोपार्जन हेतु आज एक स्थान पर कल दूसरे स्थान पर उनका घूमना तय होता है, अनिवार्य होता है। घुमक्कड़ और घुमंतू में भेद करना है तो घुमक्कड़ शौक से घूमते हैं, मगर घुमंतू मजबूरीवश घूमते हैं। हिंदी विश्वकोश के अनुसार 'घुमक्कड़', भटकना आदि शब्द पाये जाते हैं। हिंदी विश्वकोश में 'भटकना' का अर्थ दिया है-"एक व्यर्थ इधर-उधर घुमना फिरना। दो रास्ता भूल जाने के कारण इधर-उधर घुमना और तीन भ्रम में पड़ना। भटकाना का अर्थ है गलत रास्ता बताना, ऐसा रास्ता बताना जिसमें आदमी भटके। धोखा देना, भ्रम में डालना।"[1] स्पष्ट है कि जीवनयापन के लिए जो इधर-उधर यानी दिशाहीन घूमता है वही घुमंतू है, वही घुमंतू जनजातियां हैं।

- **घुमंतू जनजाति कानून :**

दरअसल अंग्रेजों के शासन काल में सन 1871 में लड़ाकू जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी अपराधिक जनजाति के रूप में घोषित किया गया था। भारत में लड़ाकू जनजातियों को अनिवार्य रूप से जन्मजात अपराधी घोषित किया जाता था। 15 अगस्त, 1947 में देश को आजदी मिली मगर सही मायने में घुमंतू जनजातियों को आजादी 31 अगस्त, 1952 को मिली तब उन्हें जो मुक्ति मिली जिसकी वजह से उन्हें 'विमुक्त' कहा गया अर्थात है बिचुअल ऑफेंडर एक्ट लागू करने पर 1952 तक घुमंतू

जनजाति जन्मजात अपराधी कही जाती थी। अब वे आदतन अपराधी माने जाने लगे, मगर 1952 के बाद उनके आगे विमुक्त शब्द जोड़ दिया और उन्हें आजाद कर दिया गया। इसी कारण घुमंतू जनजातियों को विमुक्त घुमंतू जनजातियां कहा जाने लगा। घुमंतू जनजातियों की विडंबना है कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उन्हें समाज में सम्मान कभी नहीं मिला बल्कि अपराधिक घोषित किया गया। देश के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा सम्मान मिलता रहा, मगर घुमंतू जनजातियाँ भी देश के लिए लड़ती रही, मगर उन्हें सम्मान कभी नहीं मिला। "स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजे शिवशाहीत या समाजाने हेरगिरीच्या माध्यमातून छत्रपती शिवरायांना स्वराज्यनिर्मितीसाठी मोठे मोलाचे योगदान दिले आहे. शिवशाहीत कुणाला गावांची जहागिरी मिळाली तर कुणाला वतनाच्या जमिनी मिळाल्या. परंतू गोंधळी समाजाला वतनात मिळाली ती भीक मागून खाण्यासाठी गावे. त्यामुळे एकेकाळी मान-सन्मानाने जगणारा व देवीची उपासना करणारा गोंधळी समाज आज भिक्षूक झाला आहे व स्वत:चे अस्तित्व हरवून बसला आहे. सततच्या भटकंतीमुळे समाजात अशिक्षीतपणा वाढला, अंधश्रद्धा, व्यसनाधिनता वाढली आणि समाजाचा विकास खुंटला. या समाजात मागासलेपण वाढले. त्यामुळे गावात मानसन्मानाने राहणारा गोंधळी गावकुसाबाहेर फेकला गेला आहे."[2] (स्वाधीनतापूर्व काल यानी शिवशाही में इस समाज ने हेरगिरी के माध्यम से छत्रपति शिवराय को स्वराज्य निर्मिति के लिए बड़ा मौलिक योगदान किया है। शिवशाही में किसी को गांव की जहागिरी मिली तो किसी को वतन की जमीन मिली, किंतु गोंदलग्यार समाज को वतन में भीख मांगकर खाने के लिए मिले गांव। इसलिए एक समय मान-सम्मान से जीने वाला और देवी की उपासना करने वाला गोंदलग्यार समाज आज भिक्षुक बना हुआ है और खुद का अस्तित्व खो बैठा है। निरंतर भटकन की वजह से समाज में अशिक्षा बढ़ गई है। अंधविश्वास, व्यसनाधीनता बढ़ गई और समाज का विकास रुक गया है। इस समाज में पिछड़ापन बढ़ गया है। इसी कारण गांव के बाहर रहने वाला गोंदलग्यार समाज गांव की सीमा के बाहर हो गया है।) कहना आवश्यक नहीं कि गोंदलग्यार समाज को आजादी के पहले जो मान-सम्मान मिलता था वह आज नहीं मिल रहा है। निरंतर भटकन की वजह से वह अंधविश्वास और व्यसनाधीनता जैसी समस्याओं का शिकार बन गया है।

घुमंतू जनजातियां :

वस्तुत: घुमंतू सबसे पिछड़ा, वंचित, विवंचित एवं उपेक्षित वर्ग है। इसमें तकरीबन एक हजार जातियां हैं जिनमें गोसावी, फकीर, घिसादी, खेलकरी, जोगी नाथ, सालवीं, फासाचारी, खंजरभाट, बेहरूपी, वैरागी, गड़ेरिया, कालबेलिये, कुंचेकरी, काशी, जोशी, कपड़, बेडिया-बेरड, देशर, नायक, कंजर, सांसी, कुचबंदा, गुज्जर, गाड़िया लुहार, भूते चलवादी, नंदीवाले, कोल्हाटी, वासुदेव, ठकार बेड़िया, बैरागी, हेलवे, गोपाल, बाछोवालियाँ, सिकलीगर, मदारी, कलंदर, बहेलिये, भवैया, चित्रकथी, सपेरे, बहुरूपिये, बाल बैरागी, बेलदार भराड़ी, गोंदलग्यार, काशी कापड़ी, रावल, पासी, लमान, मोघिया, उर कैकाडी, कैजी, बांछड़ा, भांड, कामठी, नट, बोरीवाले, बाल बैरागी, बदलिया, भाट जैसी 1800 जनजातियां शामिल हैं। वर्ष 2011 के मुताबिक घुमंतू जनजातियों की आबादी 20 करोड़ से अधिक है। आरक्षण की राजनीति के चलते कुछ राज्यों ने अनुसूचित जातियों को स्थान नहीं दिया है। घुमंतू जनजातियां "भारतीय (हिंदू) संस्कृति की रक्षक थी और आज भी है घुमंतू समुदाय गाड़ियां लोहारों के त्याग, बलिदान और दृढ़ प्रतिज्ञा हिंदू संस्कृति के महान रक्षकों को कौन नहीं जानता? आज उनकी स्थिति बद से बदतर है, किंतु अधिकांश प्रांतीय सरकारें उन्हें अपने प्रांत का नागरिक भी नहीं मानती है।"[3] स्पष्ट है कि हिंदू संस्कृति के महान रक्षकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिशों का आक्रमण रोकने के लिए राजा-संस्थानिकों को मदद करने वाले बेरड समाज को ब्रिटिशों ने अपराधी घोषित किया। बेरड कभी न डरने वाले और हर संकट का मुकाबला साहस के साथ करने वाले और जिनका मूल संस्थान कर्नाटक के सुरपुर का है वही समाज बेरड कहलता है। श्रमिकों के राजा के रूप में जिनकी पहचान है वह बेलदार समाज। अपने मेहनत और श्रम पर भरोसा करने वाले समाज की मूल जाति ओड क्षत्रिय रजपूत है। पुराने कपड़ों का व्यापार करने वाला काशीकापड़ी समाज आज पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेच रहा है। यहाँ तक कि तेलगंना राज्य का मूल होने वाली यह जनजाति अंधविश्वासू और भिक्षक के रूप में दिखाई देती है।

·साहित्य में विमुक्त घुमंतू जनजाति

फिलिप मेडोज ट्रेलर लिखित 'एट्रोसिटी लिटरेचर' में विमुक्त घुमंतू जनजाति की नकारात्मक एवं बुरी प्रवृत्तियों, उनकी क्रूरता और अत्याचार वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में घुमंतू जनजाति के शोषण की दर्दनाक दासतां रेखांकित हुई है। रांघेय राघव कृत 'कब तक पुकारू',' 'धरती मेरा घर', उदय शंकर भट्ट कृत 'सागर लहरें और मनुष्य' (1955), वृंदावनलाल वर्मा लिखित 'कचनार', मणि मधुकर कृत 'पिंजरे में पन्ना', शिवप्रसाद सिंह लिखित 'शैलूष', मैत्रेयी पुष्पा कृत 'अल्मा कबूतरी', भगवानदास मोरवाल कृत 'रेत', वीरेंद्र जैन कृत 'पार', संजीव कृत 'जंगल जहाँ शुरू होता है', शरद सिंह कृत 'पिछले पन्ने की औरत', कृष्णा अग्निहोत्री कृत 'निलोफर', मोहनदास नैमिशराय कृत ''वीरांगना झलकारीबाई' आदि उपन्यासों में घुमंतू जनजातियों की दशा और दिशा रेखांकित की है। मैत्रेयी पुष्पा की 'आल्मा कबुतरी' उपन्यास में बुंदेलखंड की कबूतरी घुमंतू जनजाति का समग्र किया है। इसके अलावा 'पहाड़ी जीव', 'जंगल के दावेदार', 'भूख', 'सांप और सीढ़ी', 'बनवासी', 'बनतरी' आदि उपन्यासों में घुमंतू जनजातियों के जीवन संघर्ष का लेखाजोखा प्रस्तुत किया है।

·मराठी साहित्य में घुमंतू जनजाति :

वस्तुत: मराठी से अनूदित रचनाओं में लक्ष्मण माने लिखित 'पराया'(1981), लक्ष्मण गायकवाड़ कृत 'उचक्का', भीमराव गश्ती कृत 'बेरड', आत्माराम राठौर कृत 'तांडा', भीमराव गति कृत 'आक्रोश', शिवाजी राठौर कृत 'टाबरो', किशोर शांताबाई काले का 'छोरा कोल्हाटी का', दादासाहब मोरे का 'डेराडंगर', मच्छिंद्र भोसले का 'जीवन सरिता बह रही है', पार्थ पोलके का 'पोतराज' आदि आत्मकथाकारों ने अपनी आत्मकथाओं में अपने-अपने समाज के जीवन की संघर्ष गाथा चित्रित की है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, साहित्यिक आदि स्तरों पर घुमंतू जनजातियों को उपेक्षित स्थान मिला है, जो इन रचनाओं में चित्रित हो गया है। परिणामी आज घुमंतू जनजाति विमर्श बल पकड़ने लगा है। लक्ष्मण माने लिखित 'पराया' आत्मकथा में कैकाड़ी जनजाति की भटकन की मजबूरी, पीड़ा, वंचना, स्त्री जीवन, बच्चों एवं वृद्धों की दयनीय दासतां, जातपंचायत, अंधविश्वास, जातिभेद, छुआछूत, उत्सव, पर्व, त्योहार, वेशभूषा, शादी-ब्याह, रहनसहन, खानपान, वेशभूषा का यथार्थ चित्रण किया है। भूख से बेहाल बच्चों के संदर्भ में 'पराया' आत्मकथा में स्वयं लेखक लिखता है-"मैंने बासी रोटी मली के पानी में भिगों रखी थी। पेट में आग धधक रही थी। आँखों से आँसुओं की धारा बह निकली थी। घर में कुछ भी नहीं था।"[4] स्पष्ट है कि आज भी घुमंतू जनजातियां भूख से परेशान है। लक्ष्मण गायकवाड़ लिखित 'उचक्का' आत्मकथा में घुमंतू जनजाति की शिक्षा का अभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक कि उस समाज का कोई लड़का पढ़ने लगता है तो उसे जातपंचायत बहिष्कृत भी किया करती थी। बच्चों को स्कूल में भेजने के बजाय चोरी करना सिखाया जाता है। लक्ष्मण गायकवाड़ अपनी 'उचक्का' आत्मकथा में यह बात स्वयं रेखांकित करते हैं-"अरे मारतंड, अपनी जाति में आज तक कोई पढ़-लिख सका है क्या? अपने बच्चे अगर स्कूल जाने लगे तो हम सभी का वंश डूब जाएगा। यल्लामा देवी का प्रकोप हो जाएगा। देख मारतंड, हम फिर कहते हैं कि लक्ष्या को स्कूल से निकाल ले। अगर वह फिर स्कूल गया तो हम जात-पंचायत बिठाएँगे और तुझे बहिष्कृत करेंगे।"[5] स्पष्ट है कि घुमंतू जनजातियों में शिक्षा का अभाव और धर्मांधता का प्रभाव साफ नजर आता है।

निष्कर्ष: संक्षेप में कहा जा सकता है कि घुमंतू जनजातियों को अपराधी घोषित करना एक मानसिक विकृति कहा जा सकता है। जिस प्रकार हर समाज की कमियाँ और खामियाँ होती है उसी प्रकार घुमंतू समाज में भी है, मगर पढ़ा-लिखा और सभ्य कहा जाने वाला समाज न तो उसे समझ रहा है और न उसकी संवेदना को समझ रहा है। नतीजतन यह समाज दिन-ब-दिन कमजोर होता जा रहा है। इसलिए उनको शिक्षा, रोजगार और साधन-सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वह अपराधिक कृत्य छोड़ सकें। नृत्यशास्त्र, औषधीशास्त्र, लोहाशास्त्र, पाषाणशास्त्र जैसे शास्त्रों की जानकार घुमंतू जनजातियां अंधविश्वास, रूढ़ी-परंपरा, व्यसनाधीनता, धर्मांधता, अशिक्षा और आवास जैसी समस्याओं से आज भी जूझ रही है। घुमंतू जनजातियों के व्यवसाय में विविधता होने के बावजूद उनकी घूमने की प्रवृत्तियों में समानता पाई जाती है। इन जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक,

राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक और साहित्यिक हालत एक समान नजर आती है। ये जनजातियाँ घूमती तो है मगर यह घूमना शौक नहीं बल्कि मजबूरी है।

· **संदर्भ ग्रंथ सूची :**

1. संपा. वसु नगेंद्रनाथ, हिंदी विश्वकोश, भाग 7, बी. आर. पब्लिशिंग कापोरेशन, दिल्ली, पुर्नसंस्करण: 1986, पृ. 22

2. सूर्यकांत भिसे-भटक्यांची भटकंती, आनंदमूर्ति प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशन, वेळापुर-माळशिरस-सोलापुर, पहला संस्करण: 2016, पृष्ठ -15

3. www.thewirehindi.com

4. लक्ष्मण माने, पराया, अनुवादक दामोदर खड़से, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, संस्करण: 1993, पृष्ठ-इस पाड़ाव से उद्धृत।

5. लक्ष्मण गायकवाड़, अनुवादक डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे, उचक्का, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण: 2019, पृष्ठ 19